



प्रेस नोट कुर्की थाना रसूलपुर दिनांक 29-08-2025 जनपद फिरोजाबाद ।

□ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में थाना रसूलपुर पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत सट्टा माफिया अभियुक्त राशिद की मूल्य 38 लाख 02 हजार पांच सौ चौवन रुपये (38,02,554 रुपये) की अचल सम्पत्ती को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी है ।

■ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में आदतन अपराधियों पर लगातार की जा रही है धारा 14(1) के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही.....

■ अभियुक्त राशिद द्वारा लगातार अपराध कारित कर अवैध चल / अचल सम्पत्ती अर्जित की गयी है ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत आदतन एवं संगठित होकर गम्भीर अपराधों को अंजाम देने वाले गैंगस्टर अभियुक्तों को विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना रसूलपुर पुलिस टीम मय राजस्व टीम द्वारा थाना रामगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 160/2025 धारा 2/3 गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित अभियुक्त राशिद पुत्र स्व0 अख्तर अली निवासी गली नं0 16 मक्का कॉलोनी थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद की अन्तर्गत धारा 14(1) गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 में अचल सम्पत्ती (02 आवासीय प्लॉट) को आज दिनांक 29-08-2025 को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी है । अभियुक्त राशिद द्वारा लगातार अपराध कारित कर अवैध धन अर्जित किया गया है ।

1-अभियुक्त राशिद पुत्र स्व0 अख्तर अली निवासी गली नं0 16 मक्का कॉलोनी थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त राशिद उपरोक्त:-

- 1-मु0अ0सं0 33/2025 धारा 3/4 सार्वजनिक जूआ अधिनियम व 112(2) बीएनएस थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद ।
- 2-मु0अ0सं0 553/2021 धारा 13जी एक्ट थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद ।
- 3-मु0अ0सं0 160/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद ।
- 4-मु0अ0सं0 256/2020 धारा 13जी एक्ट थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद ।
- 5-मु0अ0सं0 563/2019 धारा 13 जी एक्ट थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद ।
- 6-मु0अ0सं0 443/2017 धारा 13 जी एक्ट थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद ।

अभियुक्त राशिद की कुर्क की गयी अचल सम्पत्ती का विवरण:-

क्र0सं0	सम्पत्ती स्वामी का नाम	सम्पत्ती का प्रकार	मूल्यांकन (रु0 में)
1	राशिद पुत्र अख्तर अली थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद ।	एक आवासीय प्लॉट मौहल्ला मक्का कॉलोनी थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद । भूमि क्षेत्रफल 27.029 वर्ग मीटर व कवर्ड क्षेत्रफल 27.029 वर्ग मीटर	25,15,950.11 रुपये

2	अलीशा पत्नी राशिद	एक आवासीय प्लॉट मौहल्ला दीदामई थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद। भूमि क्षेत्रफल 54.31 वर्ग मीटर व कवर्ड क्षेत्रफल 54.31 वर्ग मीटर	12,86,603.90 रुपये
कुल कुर्क की गयी सम्पत्ती का मूल्य रूपयों मे:-----			38,02,554.01 रुपये। (38 लाख 02 हजार पांच सौ चौवन रुपये)